## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

**पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0**

**प्रकरण संख्या– 38 / 2014**

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां (राज0) ( प्रार्थी )

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र कजोड (**मृतक**)
1/1. मोहनलाल (**मृतक**)
1/1/1. हंसराज पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी पलायथा
1/1/2. लाडबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि दिनेश पुत्र सुसपाल उर्फ नन्दकिशोर जाति माली निवासी धतूरिया तह0 अन्ता
1/1/3. संजूबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि महावीर पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी सोभागपुरा तह0 किशनगंज
1/1/4. रूकमणीबाई पत्नि स्व. मोहनलाल जाति माली निवासी पलायथा
1/2. रामरतन (**लाऔलाद फोत**)
1/3. कैलाशबाई पुत्री भंवरलाल पत्नि बनवारी पुत्र गोबरीलाल जाति माली निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
1/4. ओमाबाई पुत्री भंवरलाल पत्नि चन्द्रप्रकाश पुत्र मोडूलाल जाति माली निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा
2. ग्यारसीराम पुत्र कजोड़ (**मृतक**)
2/1. शिवचरण पुत्र
2/2. रामचरण पुत्र जातिगण माली, निवासीगण पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां
2/3. शांति उर्फ संतोष पुत्री ग्यारसीराम पत्नि रामस्वरूप पुत्र बालचंद जाति माली निवासी बसन्त विहार रोड़ बालाकुण्ड महादेव दूध डेयरी की प्रथम गली, केशवपुरा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा
2/4. बदामबाई पुत्री ग्यारसीराम पत्नि बनवारीलाल पुत्र अणदीलाल जाति माली निवासी काली माता मंदिर के पास ग्राम थेकड़ा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा
2/5. कौशल्या पुत्री ग्यारसीराम पत्नि बनवारीलाल पुत्र महादेवा जाति माली निवासी ग्राम दसलाना पोस्ट नया नोहरा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा **(अप्रार्थीगण)**

**रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956**

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

**आदेश दिनांक–20.01.2025**

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के [illegible] कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख0नं0 2092/1067 रकबा 0.[illegible] बंजड़, 2093/1067 रकबा 0.33 है. किस्म बारानी I कुल किता 2 रकबा [illegible] राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट [illegible]वत् 2010–29 में खसरा नंबर 801 रकबा 31 बीघा [illegible] के नवीन ख0नं0 10[illegible] 2.91 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि में से आराजी ख0नं0 2092/1067 रकबा 0.20 है. [illegible]ड़, 2093/1067

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

रकबा 0.33 है. किस्म बारानी । कुल किता 2 रकबा 0.53 है.अवैधानिक रूप से भंवरलाल पुत्र कजोड़ एवं भंवरलाल, ग्यारसीराम पुत्रगण कजोड़ जातिगण माली निवासीगण पलायथा के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071–74 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1/3, 1/4, 2/1 ता 2/5 की ओर से जवाब रेफरेंस इस आशय का पेश हुआ कि प्रस्तुत रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र कजोड़ जाति माली निवासी पलायथा को सम्पूर्ण कोरम द्वारा दिनांक 19.09.1998 को खसरा नंबर 1067 रकबा 0.20 है. किस्म बंजड़ दर्ज होने से विधिवत आवंटित की गई थी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में है। खसरा नंबर 1067 का सम्पूर्ण रकबा 2.91 है. दर्ज है जिसमें से अप्रार्थी भंवरलाल को म 0.20 है. भूमि एलोट हुअई जिस पर किसी प्रकार का नाला बना हुआ नही है आराजी समतल व कृषि योग्य है। खसरा नंबर 2093/1067 रकबा 0.33 है. किस्म बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर बहैसियत खातेदार भंवरलाल, ग्यारसीराम पुत्र कजोड़ का नाम दर्ज है जो तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.12.1998 से धारा 136 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही से दर्ज हुई है इसमे किसी प्रकार का विवाद नहीं है क्योंकि तहसीलदार के आदेश से दर्ज हुई आराजी को खारिज करने की कार्यवाही वह नहीं कर सकते। खातेदार भंवरलाल व ग्यारसीराम का स्वर्गवास हो गया है तथा अप्रार्थीगण उनके वारिसान हैं। अप्रार्थीगण के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है उनकी आजीविका का एक मात्र साधन उक्त आराजी ही है जिस पर सम्पूर्ण परिवार निर्भर है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

3– उक्त जवाब पेश होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2010–29 में खसरा नंबर 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला के नवीन ख0नं0 1067 रकबा 2.91 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि में से आराजी ख0नं0 2092/1067 रकबा 0.20 है. किस्म बंजड़, 2093/1067 रकबा 0.33 है. किस्म बारानी । कुल किता 2 रकबा 0.53 है. अवैधानिक रूप से भंवरलाल पुत्र कजोड़ एवं भंवरलाल, ग्यारसीराम पुत्रगण कजोड़ जातिगण माली निवासीगण पलायथा के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071–74 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार [illegible] द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी मौके की स्थिति की जानकारी लेकर ही भूमि आवंटन योग्य पाये जाने पर ही नियमानुसार आवंटन की गई थी। मौके पर कोई नाला मौजूद नहीं था और ना वर्तमान में मौके पर कोई नाला है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर नाला का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5— हमने उभयपक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2010—29 ग्राम पलायथा में विवादित आराजी खसरा नंबर 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला के नवीन ख0नं0 1067 रकबा 2.91 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि में से आराजी ख0नं0 2092/1067 रकबा 0.20 है. किस्म बंजड़, 2093/1067 रकबा 0.33 है. किस्म बारानी I कुल किता 2 रकबा 0.53 है. का भंवरलाल पुत्र कजोड़ एवं भंवरलाल, ग्यारसीराम पुत्रगण कजोड़ जातिगण माली निवासीगण पलायथा को आवंटन/नियमन किया गया है। जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071—74 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार भंवरलाल पुत्र कजोड़ एवं भंवरलाल, ग्यारसीराम पुत्रगण कजोड़ जातिगण माली निवासीगण पलायथा को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। भंवरलाल पुत्र कजोड़ एवं भंवरलाल, ग्यारसीराम पुत्रगण कजोड़ जातिगण माली निवासीगण पलायथा को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, अन्ता का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम पलायथा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2092/1067 रकबा 0.20 है. किस्म बंजड़, 2093/1067 रकबा 0.33 है. किस्म बारानी I कुल किता 2 रकबा 0.53 है., जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला से बना है जिसका भंवरलाल पुत्र कजोड़ एवं भंवरलाल, ग्यारसीराम पुत्रगण कजोड़ जातिगण माली निवासीगण पलायथा को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करावें।

आदेश आज दिनांक 20.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.14 10:07:28 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)